कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल :– **govt.ayurvedicpharmacy@gmail.com** दूरभाष एवं फैक्स क्रं. – 0771–2263437

–:: निविदा–सूचना ::–

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1258 दिनांक 02/12/2024

उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छ.ग.) की ओर से निर्माताओं तथा अधिकृत विक्रेताओं से कच्ची औषधियां काली मिर्च, जीरा श्वेत, नागकेशर, लवंग, सोंठ (शुण्ठी) (पालिस रहित), सौंफ (हरी), एवं अजमोदा प्रदाय करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुतं करते हुए रूपये 500.00 नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है। उक्त निविदा पत्र कार्यालय प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर की वेबसाईट **www.gacraipurcg.in** पर अवलोकन किया जा सकता है।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि,	दिनांक	**01.01.2025**	समय – सायं 04 बजे तक
निविदा डाक से प्राप्त होने/निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक	**02.01.2025**	समय – दोपहर 02 बजे तक
निविदा की अमानत राशि (ई.एम.डी.) लिफाफे खोलने की तिथि	दिनांक	**02.01.2025**	समय – दोपहर 03 बजे

स्थान – कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, जी.ई.रोड, आयुर्वेदिक कॉलेज केम्पस, रायपुर (छ.ग.)

02/12/24

उपसंचालक,
शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: निविदादाता हेतु निर्देश ::

शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर के लिये शास्त्रोक्त आयुर्वेद औषधियां निर्माण में लगने वाली कुल 07 प्रकार की आवश्यक कच्ची औषधियां क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त हेतु टू बीड सिस्टम के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता जो शासकीय अथवा कार्पोरेट संस्था से ब्लैक लिस्टेड है वह निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। दिनांक 02.01.2025 को दोपहर 2:00 बजे तक कार्यालय उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छ.ग.) में जमा की जा सकेगी। निविदा उसी दिन उसी स्थान पर पश्चात 3:00 बजे अमानत राशि (ई.एम.डी) बीड (लिफाफा–ए), निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी अमानत राशि (ई.एम.डी.) एवं उससे छूट संबंधी प्रमाण–पत्र सही पाये जाने पर दूसरी लिफाफा निविदा प्रपत्र एवं प्राईज बीड (लिफाफा–बी) खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

निविदा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से स्वीकृत निविदा एक वर्ष तक वैध रहेगी, जिसमें दोनो पक्षो की सहमति से आवश्यकतानुसार वृद्धि अथवा कम किया जा सकता है।

निविदादाता को निविदा दो पृथक–पृथक लिफाफों में जमा करनी होगी । प्रथम लिफाफे "ए" **अमानत राशि (ई.एम.डी.) एवं उससे छूट संबंधी प्रमाण–पत्र** लिफाफे के उपर लाल स्याही से अंकित होना चाहिए तथा दूसरे लिफाफे "बी" में **कच्ची औषधियों के निविदा प्रपत्र एवं औषधि के प्राईज बीड** लाल स्याही से अंकित होना चाहिए ।

प्रत्येक **कच्ची औषधियों** का पृथक–पृथक नमूना (सेम्पल) पैक कर देना होगा।

1. प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 परिभाषा में अनुक्रमांक–54 पर परिभाषित है निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण–पत्र प्राप्त है,को उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ई.एम.डी.) जमा करने से छूट दी जाये।
2. आपूर्तिकर्ता को वर्ष 2023–24 जी.एस.टी. क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं परिशिष्ट एक तथा दो लगाना अनिवार्य होगा। परिशिष्ट दो, बाध्य पत्र 100/– सौ रूपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
3. निविदा की अनुमानित राशि रू. 19,57,500 (उन्नीस लाख सन्तावन हजार पांच सौ रूपये) है। प्रत्येक निविदादाता को रूपये 19,575/– (उन्नीस हजार पांच सौ पचहत्तर रूपये मात्र) की अमानत राशि (ई.एम.डी.) जो राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपाजिट/बैकर्स चेक के रूप में उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर के नाम देय होगी। सफल निविदाकार की अमानत राशि (ई.एम.डी.) को छोड़कर शेष निविदाकार की अमानत राशि वापसी योग्य होगी एवं सफल निविदाकार की अमानत राशि (ई.एम.डी.) को सिक्यूरिटी डिपाजिट के रूप में बदल दी जावेगी।
4. प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण–पत्र प्राप्त है ईकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसका परीक्षण किया जाकर नियमानुसार सुरक्षा निधि में छूट प्रदान की जावेगी ।
5. 1. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 4.9 के अंतर्गत जी.एस.टी. का जीवित रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है एवं पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे जिसमें निविदा में उल्लेखित कच्ची औषधियां विक्रेता होने का स्पष्ट उल्लेख हो। 2. पेन कार्ड (जिसमें पेन नंबर अंकित हो), 3. विगत तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न, 4. नगर निगम में दुकान पंजीयन का प्रमाण पत्र, 5. निर्माता/निर्माता प्रतिनिधि का प्रमाण पत्र। 6. चेक लिस्ट ।

   उपरोक्त प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा ।

02/12/24

उपसंचालक,
शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी,
रायपुर (छ.ग.)

:: निविदा की नियम/शर्ते ::

1. निविदा मूल प्रपत्र पर ही भरकर जमा करनी होगी छाया प्रतियां मान्य नहीं होगी ।
2. आपूर्तिकर्ता को कच्ची औषधियों की आपूर्ति के पूर्व 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर करारनामा (अनुबन्ध) नोटरी से रजिस्टर्ड कराया जाकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
3. क्रय आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर औषधियां प्रदाय नहीं किया जाता है तो क्रेता द्वारा 2% (दो प्रतिशत) प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ अवधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी।
4. निविदादाता निविदा में कच्ची औषधियो की दर, जी.एस.टी. सहित भरें तथा दर एवं जी.एस.टी. को पृथक–पृथक अंकित किया जावे, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि मान्य नहीं होगी।
5. निविदा में भरे गये मूल्य में परिवर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा ।
6. निविदा, गुणवत्ता/न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत किये जायेंगे एवं आपूर्तिकर्ता को आदेशित औषधियां शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छ.ग.) में प्रदाय करना होगा। इस हेतु स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई व्यय नहीं दिया जावेगा। अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा ।
7. प्रदायकर्ता फर्म को इस आशय का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि उसकी व्यापारिक संस्थान कहां स्थित है, जहां से वह माल प्रदाय करेगा।
8. कच्ची औषधियों की मात्रा कम/अधिक की जा सकेगी अथवा उसे बिल्कुल न लेने के लिए भी उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर के पास अधिकार सुरक्षित होगा ।
9. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ रूपये 19,575/– (अक्षरी :– उन्नीस हजार पांच सौ पचहत्तर रूपये मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैक का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपाजिट/बैकर्स चेक अमानत राशि (ई.एम.डी) मनी के रूप में उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर के पक्ष में देय, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दिया जावेगा। अस्वीकृत निविदादाता को अमानत राशि वापसी योग्य होगी। निविदा स्वीकृत होने पर यह धन राशि सुरक्षा निधि (सिक्यूरिटी डिपाजिट) के रूप में बदल दिया जायेगा। यदि नियमानुसार सुरक्षा निधि अनुमानित मूल्य के 03 प्रतिशत होगी, अमानत राशि की राशि से अधिक होती है, तो अधिक राशि का बैंक ड्राफ्ट पृथक से जमा किये जाने पर ही प्रदायित औषधियां ग्रहण की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा में आदेशित औषधियां प्रदाय नहीं करने की स्थिति में शासन हित में इस राशि में से नियमानुसार राजसात की कार्यवाही की जावेगी। स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षा निधि राशि निविदा के वैधता तिथि समाप्त होने के पश्चात् वापस की जावेगी।
10. आदेशानुसार औषधि प्रदाय करने पर सुरक्षा निधि बिना ब्याज के आपूर्तिकर्ता को वापस कर दी जावेगी।
11. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफे में अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण–पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र एवं औषधियां की प्राईज बीड होगा।
12. प्रदायकर्ता फर्म की नियमानुसार सुरक्षानिधि (सिक्यूरिटी डिपाजिट) की राशि अमानत राशि की राशि से अधिक होने की स्थिति में उक्त अधिक राशि का अंतर की राशि का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपाजिट, जो उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर के पक्ष में देय हो 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा पर आदेशित कच्ची औषधियां प्रदाय नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार विक्रेता फर्म को काली सूची में डाली जावेगा।
13. प्रदायित कच्ची औषधियों के सेम्पल (नमूना) लैब टेस्ट में सही पाये जाने पर ही औषधियां ग्रहण की जावेगी। सही नहीं पाये जाने पर दूसरी औषधि बदल कर देने का उत्तरदायित्व व्यापारी का होगा।

14. प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण–पत्र प्राप्त है, उसकी परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जावेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना होगा ।
15. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 13.1 के अनुसार दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहत एवं राज्य के बाहर स्थित ईकाईयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु उद्योग ईकाईयों को 10% (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमान्यता प्रदान की जावेगी ।
16. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 13.2 स्थानीय लघु उद्योग ईकाईयों को राज्य के बाहर स्थित ईकाईयों की तुलना में 5% (पांच प्रतिशत) की क्रय अधिमान्यता प्रदान की जावेगी ।
17. छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 14.1 राज्य में स्थित बी.आई.एस. प्रमाण पत्र धारी लघु उद्योग ईकाई को राज्य के बाहर स्थित ईकाई की तुलना में 10% (दस प्रतिशत) की अधिमान्यता दी जायेगी ।
18. राज्य से बाहर स्थित निविदाकारों द्वारा निविदा में दी गई दरों की तुलना, राज्य में वाणिज्यकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निविदाकारों द्वारा दी गई दरों में छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर को छोड़कर की जावेगी।
19. शासन नियमानुसार टी.डी.एस. कटौत्रा किया जावेगा।
20. परिशिष्ट के प्रत्येक पृष्ट पर निविदादाता की मुद्रा व हस्ताक्षर आवश्यक है। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
21. सुरक्षानिधि नगद में प्राप्त नहीं की जावेगी। निविदाकार को सुरक्षानिधि चालान से लेखा शीर्ष "8443 सिविल जमा राशियां 103 – प्रतिभूति जमा" में शासकीय खजाने में/उपखजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय लेन देन होता है जमा करके चालान की मूल पावती कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा या राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपाजिट द्वारा जमा की जा सकती है।
22. निविदा मुहरबंद लिफाफे में बंद कर कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी जी.ई.रोड, आयुर्वेदिक कालेज केम्पस, रायपुर के पते पर रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एंड.टी. विभाग से अधिकृत कोरियर अथवा उपस्थित होकर जमा की जा सकती है।
23. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदायें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर के पास सुरक्षित होगा। इस संबंध में कोई विवाद या सवाल मान्य नहीं होगा।
24. निविदा अहस्तांतरणीय होगी।
25. केवल वाणिज्यिक कर विभाग में जी.एस.टी. पंजीकृत फर्मों से ही क्रय किया जावेगा।
26. निविदा विलंब से प्राप्त होने पर मान्य नहीं होगी।
27. आपूर्तिकर्ता भुगतान में विलंब होने पर किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करेगा, एवं न ही किसी प्रकार का ब्याज देय होगा।
28. भुगतान वेण्डर पेमेंट से देय होगी।
29. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर (छ.ग.) का निर्णय अंतिम होगा एवं न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा ।

02/12/24

उपसंचालक,
शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी
रायपुर (छ.ग.)

लिफाफा – बी
परिशिष्ट – **एक**

प्रति,

विषय :– कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु निविदा ।

महोदय,

मैंने / हमने ठेके (निविदा) की पूर्ति से संबंधित नियमावली के समस्त नियम पढ़ लिये हैं । मैं / हम प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि मुझे / हमें निविदा की समस्त नियम / शर्तें मान्य हैं व निविदा उन्हीं शर्तों को स्वीकार करते हुये भरी है।

स्थान –

दिनांक –

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर

नाम---------------------------

पूरा पता ---------------------

उप संचालक
शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी
रायपुर (छ.ग.)

लिफाफा – बी
परिशिष्ट – दो

(सौ रूपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

बाध्य पत्र

मैंने / हमने कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु निविदा नियमों / शर्तों को स्वीकार करते हुये भरी है, इस संबंध में मैं / हम इकरार करता हूं /करते हैं कि भरी गई निविदा के स्वीकार किये जाने पर निविदा नियमों /शर्तों के अनुसार मैं / हम कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु बाध्य हूं / हैं।

मुझे / हमें यह स्पष्ट है कि प्रदाय आदेश जारी होने के उपरांत यह अनुबंध हो जायेगा तथा संबंधित प्रदाय आदेश में दी गई शर्तों व नियमों को मानने के लिये मैं /हम बाध्य हूंगा/होंगे ।

मैं / हम इकरार करता हूं / करते हैं कि कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु अनुबंध के 15 दिवस के अंदर क्रयकर्ता द्वारा आदेश में दर्शाये गये पते पर प्रदाय करूंगा / करेंगे। जिसमें होने वाला व्यय मेरे/हमारे द्वारा वहन किया जावेगा।

मैं / हम घोषित करता हूं /करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा की गई निविदा इस बाध्य–पत्र का अंश समझी जावेगी।

स्थान –

____

दिनांक –

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर

नाम____________________

पूरा पता ________________

____

____

गवाहों के हस्ताक्षर
(नाम व पूर्ण पते सहित)

1.

2.

उप संचालक
शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी
रायपुर (छ.ग.)

लिफाफा "बी"

चेक लिस्ट

क्रमांक	विवरण	पेज क्रमांक
1	फर्म का नाम एवं पूर्ण पता	
2	परिशिष्ट एक	
3	परिशिष्ट दो बाध्य पत्र सौ रुपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत	
4	जी.एस.टी. का जीवित रजिस्ट्रेशन की अभिप्रमाणित प्रति	
5	जी.एस.टी. क्लीयरेन्स वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति	
6	पेन कार्ड (जिसमें पेन नंबर अंकित हो) की अभिप्रमाणित प्रति	
7	विगत तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित प्रति	
8	नगर निगम में दुकान के पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति	
9	निर्माता/निर्माता प्रतिनिधि होने संबंधी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
सील

उप संचालक
शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी
रायपुर (छ.ग.)

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक ....माह.......वर्ष.............को प्रदाय की जाने वाली कच्ची औषधियो के अधिकृत विक्रेता श्री/श्रीमति ....फर्म का नाम.. ....पता..(इसके पश्चात् इन्हें विक्रेता/प्रदायकर्ता (सप्लायर) कहा जावेगा) तथा छ.ग.शासन की ओर से उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (इसके पश्चात् इन्हें क्रेता/क्रयकर्ता कहा जायेगा) के बीच किया जाता है। इसे निविदा का एक अंश समझा जावेगा।

मैंने / हमने कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु निविदा नियमों/शर्तों को स्वीकार करते हुये भरी है, इस संबंध में मैं / हम इकरार करता हूं / करते हैं कि भरी गई निविदा के स्वीकार किये जाने पर निविदा नियमों/शर्तों के अनुसार मैं / हम कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु बाध्य हूं / हैं।

मुझे / हमें यह स्पष्ट है कि प्रदाय आदेश जारी होने के उपरांत अनुबंध हो जायेगा तथा संबंधित प्रदाय आदेश में दी गई शर्तों व नियमों को मानने के लिये मैं /हम बाध्य हूंगा/ होंगे ।

मैं / हम इकरार करता हूं / करते हैं कि कच्ची औषधियां प्रदाय हेतु अनुबंध के 15 दिवस के अंदर क्रयकर्ता द्वारा आदेश में दर्शाये गये पते पर प्रदाय करूंगा / करेंगे। जिसमे होने वाला व्यय मेरे/हमारे द्वारा वहन किया जावेगा।

मैं / हम घोषित करता हूं /करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा की गई निविदा इस बाध्य–पत्र का अंश समझी जावेगी।

स्थान –

————————————

दिनांक –

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर

नाम————————————

पूरा पता ——————————

————————————

————————————

गवाहों के हस्ताक्षर
(नाम व पूर्ण पते सहित)

1.

उप संचालक
शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी
रायपुर (छ.ग.)

2.

परिशिष्ट – तीन

कच्ची औषधियों के प्रदाय हेतु निविदा प्रपत्र (प्राईज बीड)

फर्म का नाम ....

फर्म का पता ....

फोन नं. ....टीन नं./जी.एस.टी. नं. ....

नोटः– प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर एवं फर्म की सील होना आवश्यक है ।

क्र.	औषधियों के नाम	लेटिन नाम	प्रयोज्यांग	स्पेशिफिकेशन	दर प्रति कि.ग्रा.	जी.एस.टी.	कुल मूल्य
1	काली मिर्च	Piper nigrum	फल	Dry, Clean, Grade-A			
2	जीरा श्वेत	Cumoimum cyminum	फल	Dry & Clean			
3	नागकेशर	Mesua ferrea	पुंकेशर	Dry & Clean			
4	लवंग	Syzygium aromaticum	पुष्पकलिका	Dry & Clean			
5	सोंठ (शुण्ठी) (पालिस रहित)	Zingeber officinale	प्रकंद	Dry & Clean			
6	सौंफ हरी	Foeniculum vulgare	फल	Dry & Clean			
7	अजमोदा	Apium leptophyllum	फल	Dry & Clean			

उपसंचालक,
शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी
रायपुर (छ.ग.)